

22^S
अ.

पत्रावली पेश हुई। वही अनु.
प्रतिवादी 1 की ओर से अधिकतम
अपस्थित। प्रतिवादी 1 की ओर से

४

राष्ट्रीय न्यायालय
राज्य न्यायालय



फद अहकाम

सहायक फलबन्ध
जयपुर शहर प्रबन्ध

राजपाल्य बनाम खिरडाराम

वर्ष / क्रमांक : दावा-119/2022 / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12-5-24	<p>बाबर पैरा ग्रांपत्र नं वाद अबेट करमार जाने हेतु शांमिं है। प्रतिवादी ने अपने ग्रांपत्र में सशपथ कथन किया है कि वाद में एकमात्र वादी की मृत्यु दिनांक 12/3/2024 को हो गयी है।</p> <p>वादी अधि० द्वारा विधि द्वारा परिष्ठीमित समय के भीतर कायम-मुकामत की कार्यवाही, आदेश-22, CPC के प्रावधानों के अनुसार नहीं की गयी है।</p> <p>अतः वाद में एकमात्र वादी की मृत्यु होने पर एवं निश्चित समयावधि में कायम-मुकामत की कार्यवाही / आवेदन करने में विफल रहने पर वादी का दावा उपक्षमन (Abatement) के आधार पर खारिज किया जाता है।</p> <p>निर्णय आज्ञा दिनांक 23/5/24 को खुले न्यायालय में सुनाया।</p>	

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

गया। पत्रावली फैनल शुमार
होकर दर्ज नम्बर से कम हो

~~जम्मा~~
~~जम्मा~~